



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in

0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-08/2021- 359 दिनांक : 19/05/2023

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ बोकारो वन प्रमण्डल/ धनबाद वन प्रमण्डल/ रामगढ़ वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ कोडरमा वन प्रमण्डल/ मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ लातेहार वन प्रमण्डल/ देवघर वन प्रमण्डल/ गोड्डा वन प्रमण्डल/ वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्सांस तथा वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु कुल **रु0 358.585 लाख (तीन करोड़ अनठावन लाख अनठावन हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-32/2020-10/स्वी0 व0प0 दिनांक 23.09.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-35/2022-02/SCSP व0प0 दिनांक 28.04.2023।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 358.585 लाख (तीन करोड़ अनठावन लाख अनठावन हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060178958010103	324.770
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060178958010323	33.815
कुल :-		358.585

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या--19S24060178958010103 एवं 19S24060178958010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।
8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
14. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की

अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-08/2021- 359 दिनांक- 19/05/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, हजारीबाग/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ संचाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ हजारीबाग/ पलामू/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ देवघर/ दुमका/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची/ पी0एम0यू0 सेल, कार्यालय-वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-08/2021- 359 दिनांक- 19/5/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ हजारीबाग/ गढ़वा/ कोडरमा/ लातेहार/ बोकारो/ धनबाद/ रामगढ़/ गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/लातेहार/ गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे०) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			11823.16	961.00	12784.16
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सा०वा० प्रमण्डल, देवघर	100	11.823	0.961	12.784
2	सा०वा० प्रमण्डल, हजारीबाग	100	11.823	0.961	12.784
3	सा०वा० प्रमण्डल, गढ़वा	100	11.823	0.961	12.784
4	कोडरमा वन प्रमण्डल	25	2.956	0.240	3.196
5	बोकारो वन प्रमण्डल	100	11.823	0.961	12.784
6	धनबाद वन प्रमण्डल	150	17.735	1.441	19.176
7	रामगढ़ वन प्रमण्डल	50	5.912	0.481	6.393
8	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	50	5.912	0.481	6.393
9	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	100	11.823	0.961	12.784
10	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	100	11.823	0.961	12.784
11	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	200	23.646	1.922	25.568
12	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	100	11.823	0.961	12.784
13	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	100	11.823	0.961	12.784
14	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	100	11.823	0.961	12.784
15	लातेहार वन प्रमण्डल	50	5.912	0.481	6.393
16	देवघर वन प्रमण्डल	150	17.735	1.441	19.176
17	गोड्डा वन प्रमण्डल	150	17.735	1.441	19.176
योग :-		1725	203.950	16.577	220.527

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			15293.64	2182.40	17476.04
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सा०वा० प्रमण्डल, हजारीबाग	50	7.647	1.091	8.738
2	सा०वा० प्रमण्डल, गढ़वा	50	7.647	1.091	8.738
3	सा०वा० प्रमण्डल, कोडरमा	50	7.647	1.091	8.738
4	सा०वा० प्रमण्डल, लातेहार	50	7.647	1.091	8.738
5	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	50	7.647	1.091	8.738
6	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	50	7.647	1.091	8.738
7	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	100	15.294	2.182	17.476
8	देवघर वन प्रमण्डल	50	7.647	1.091	8.738
9	गोड्डा वन प्रमण्डल	50	7.647	1.091	8.738
10	धनबाद वन प्रमण्डल	100	15.293	2.182	17.475
11	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	100	15.293	2.182	17.475
12	वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	90	13.764	1.964	15.728
योग :-		790	120.820	17.238	138.058
सकल योग :-		2515	324.770	33.815	358.585

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 346.01 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. अथवा 2 मी. X 2 मी. अथवा 3 मी. X 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14.00	4844.14	0.00	4844.14	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.17	4210.94		4210.94	30 हे० तक 1 मानव दिवस एवं 30 हे० से अधिक के लिए 2 मानव दिवस
4	घेरान मरम्मत	6 घेन प्रति हे०	6.00	2076.06	0.00	2076.06	
6	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	2.00	692.02	176.00	868.02	
योग :-			34.17	11823.16	961.00	12784.16	

- नोट (1) अग्रिम कार्य आरम्भ करने के समय लागू दैनिक मजदूरी दर पर सात वर्षीय योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।
- (2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा इस कारण मजदूरी मद में राशि की व्यय 20% से ज्यादा या कम हो सकता है।
- (3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
- (4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
- (6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।
- (7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666
 पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

मजदूरी दर : 346.01 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे०	23.00	7958.23	0.00	7958.23	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	12.20	4221.32	0.00	4221.32	
4	गड़ढा घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हे०	6.00	2076.06	0.00	2076.06	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	1038.03	290.00	1328.03	
	योग-		44.20	15293.64	2182.40	17476.04	

- नोट (1) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।
- (2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा
- (3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
- (4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
- (6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।
- (7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-08/2021/359

दिनांक - 19-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27770	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदूरी	1,182,300.00 रुपये स्यारह लाख बयासी हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27771	HZBFWL007 SAROJ BHAI PATEL IFS D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 03 - मजदूरी	1,947,000.00 रुपये उन्नीस लाख सैतालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27772	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	1,947,000.00 रुपये उन्नीस लाख सैतालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये पचास लाख छहत्तर हजार तीन सौ

5,076,300.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
SAC, PCCF DEV. JHARKHAND
19/5/2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27773	KDMFORA02 MAHALING D.F.O (S.F.) KODERM 03 - मजदूरी	764,700.00 रुपये सात लाख चौसठ हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27774	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF 03 - मजदूरी	764,700.00 रुपये सात लाख चौसठ हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27775	BKRFOR001 RAJNISH KUMAR, I.F.S D F O, BOKARO 03 - मजदूरी	1,182,300.00 रुपये ग्यारह लाख बयासी हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: 2,711,700.00
 क्रमिक योग: रुपये सित्तोत्तर लाख अठ्यासी हजार 7,788,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
 19/5/2023
 ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27776	DHNFOR001 VIKAS PALIWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	3,302,800.00 रुपये तैतीस लाख दो हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27777	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	591,200.00 रुपये पाँच लाख इनकानये हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27778	GRDFOR003 ANKIT KUMAR SINGH D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 03 - मजदूरी	591,200.00 रुपये पाँच लाख इनकानये हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड बाइस लाख तीहत्तर हजार दो सौ

4,485,200.00

क्रमिक योग:

12,273,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL - PCCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27779	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	2,711,600.00 रुपये सत्ताइस लाख ग्यारह हजार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27780	HZBFWL005 SHABA ALAM ANSARI D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी	1,182,300.00 रुपये ग्यारह लाख बयासी हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27781	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	3,129,300.00 रुपये इक्कीस लाख उन्तीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये एक करोड बयानवे लाख छयानवे हजार चार सौ

7,023,200.00

क्रमिक योग:

19,296,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

CCCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
13	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27782	CTRFOR002 RAHUL MEENA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	1,947,000.00 रुपये उन्नीस लाख सैतालीस हजार 
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27784	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	295,600.00 रुपये दो लाख पिनचानवे हजार छः सौ 
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27785	PLMFOR070 SAUMITRA SHUKLA IFS D.F.O.MEDININAGAR, OREST.DIV. 03 - मजदूरी	2,711,700.00 रुपये सत्ताइस लाख ग्यारह हजार सात सौ 
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: 4,954,300.00
 क्रमिक योग: रुपये दो करोड बयालीस लाख पचास हजार सात सौ 24,250,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
 JSDI-PCCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27787	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	1,182,300.00 रुपये ग्यारह लाख बयासी हजार तीन सौ
	Slate Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27789	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदूरी	591,200.00 रुपये पाँच लाख इनकानवे हजार दो सौ
	Slate Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27790	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी	2,538,200.00 रुपये पच्चीस लाख अड़तीस हजार दो सौ
	Slate Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये दो करोड पचयासी लाख बासठ हजार चार सौ

4,311,700.00

क्रमिक योग:

28,562,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27791	GDDFOR164 MAUN PRAKASH DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	2,538,200.00 रुपये पच्चीस लाख अड़तीस हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27792	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB 03 - मजदूरी	1,376,400.00 रुपये तेरह लाख छहत्तर हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27795	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,100.00 रुपये छयानवे हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड पच्चीस लाख तीहत्तर हजार एक सौ

4,010,700.00

क्रमिक योग:

32,573,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27796	HZBFWL007 SAROJ BHAI PATEL IFS रुपये दो लाख पाँच हजार दो सौ D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	205,200.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27797	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA रुपये दो लाख पाँच हजार दो सौ DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	205,200.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27798	KDMFORA02 MAHALING रुपये एक लाख नौ हजार एक सौ D.F.O (S.F.) KODERM 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	109,100.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड़ तीस लाख बयानवे हजार छः सौ

519,500.00

क्रमिक योग:

33,092,600.00

(NAND KISHORE SINGH)
BCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27799	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR	109,100.00 रुपये एक लाख नौ हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
26	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27801	BKRFOR001 RAJNISH KUMAR, I.F.S D F O, BOKARO	96,100.00 रुपये छयानवे हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
27	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27802	DHNFOR001 VIKAS PALIWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER	362,300.00 रुपये तीन लाख बासठ हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	

योग:

रुपये तीन करोड छत्तीस लाख साहठ हजार एक सौ

567,500.00

क्रमिक योग:

33,660,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

Sd/- PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27803	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	48,100.00 रुपये अड़तालीस हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27804	GRDFOR003 ANKIT KUMAR SINGH D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	48,100.00 रुपये अड़तालीस हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27805	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	314,300.00 रुपये तीन लाख चौदह हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड़ चालीस लाख सत्तर हजार छः सौ

410,500.00

क्रमिक योग:

34,070,600.00

(NAND KISHORE SINGH)
CCO, PCCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27806	HZBFWL005 SHABA ALAM ANSARI D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,100.00 रुपये छयानवे हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
32	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27808	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	301,300.00 रुपये तीन लाख एक हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
33	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27809	CTRFOR002 RAHUL MEENA D.F.O., NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	205,200.00 रुपये दो लाख पाँच हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड छयालीस लाख तीहत्तर हजार दो सौ

602,600.00

क्रमिक योग:

34,673,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. ECCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27810	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	24,000.00 रुपये चौदस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
35	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27811	PLMFOR070 SAUMITRA SHUKLA IFS D.F.O.MEDININAGAR, OREST.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	314,300.00 रुपये तीन लाख चौदह हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
36	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27812	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,100.00 रुपये छयानये हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड इक्कावन लाख सात हजार छः सौ

434,400.00

क्रमिक योग:

35,107,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

Sd/- PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27813	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,100.00 रुपये अड़तालीस हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
38	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27815	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	253,200.00 रुपये दो लाख तीरपन हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
39	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27816	GDDFOR164 MAUN PRAKASH DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	253,200.00 रुपये दो लाख तीरपन हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड छप्पन लाख बासठ हजार एक सौ

554,500.00

क्रमिक योग:

35,662,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
CCF DEV. BHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27817	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB	196,400.00 रुपये एक लाख छयानवे हजार चार सौ
			23 - आपूर्ति एवं सामग्री	

State Scheme : NA

Central Scheme : NA

योग:

रुपये तीन करोड अठावन लाख अठावन हजार पाँच सौ

196,400.00

क्रमिक योग:

35,858,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

RANCH